भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ
Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
(AN ALL INDIA FEDERATION OF DEFENCE WORKERS)
(AN INDUSTRIAL UNIT OF B.M.S.)
(RECOGNISED BY MINISTRY OF DEFENCE, GOVT. OF INDIA)

CENTRAL OFFICE : 2-A, NAVIN MARKET, KANPUR-1 • PH. & FAX : (0512) 2332222
Mob. : 09415733686, 09335621629, 09235729390 • E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

REF: BPMS/ MoD/ Qtrs/ 186(8/1/R) **Dated: 14.06.2020**

To,
The Secretary
Govt of India, Ministry of Defence
South Block, DHQ PO
New Delhi- 110011

Subject: Relaxation in allotment rules of Quarters- Extension of retention period of Qtrs in view of Novel Corona virus (Covid-19).

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 2 माह से अधिक समय से पूरा देश लॉक–डाउन मे रहा है। इस दौरान किसी भी तरह की आवागमन गतिविधि पूरी तरह से ठप्प रही। जिसकी वजह से विभिन्न श्रेणियो से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारी, जिन्हे इस दौरान आवटिंत सरकारी आवास छोड़ना था, वे उसे छोड़ नही सकें।

इस समस्या को ध्यान मे रखते हुए संपदा निदेशालय द्वारा (Directorate of Estate, Ministry of Housing and Urban Affairs) अपने विभिन्न निर्देशो के माध्यम से ऐसे सभी कर्मचारियो जो इस दौरान या लॉक–डाउन लागू होने से पूर्व सरकारी आवास को छोड़ने के पात्र थे, उन्हे सामान्य लाइसेन्स शुल्क पर आवास मे रहने की छूट प्रदान की गयी। संपदा निदेशालय द्वारा अपने दिनांक 01 जून 2020 के पत्र के माध्यम से यह छूट 30 जून 2020 तक सीमित कर दी गयी।

चूकिं रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न निदेशालयो के आवास सम्बन्धी अपने नियम है जैसे आयुध निर्माणी बोर्ड हेतु **रक्षा आवासो का आवाटंन (रक्षा सेवा मे सिविलियनो के लिए आयुध कारखाना वास सुविधा) नियम, 2003 [SRO 149/2004]** एवं डी0जी0क्यू0ए0 हेतु SRO 1E/1996 आदि एवं इन नियमो के अन्तर्गत संस्थानो के विभाग प्रमुख जैसे आयुध निर्माणियों के मामले में निर्माणियो के वरिष्ठ महाप्रबन्धक एवं महाप्रबन्धक व डी0जी0क्यू0ए0 के मामले मे आवास समिति की अनुशंसा पर आवटंन अधिकारी आदि को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गयी है कि वह नियमो मे छूट सम्बन्धी विभिन्न मामले में निर्णय ले।

चूकिं विभिन्न तरह की समस्याएँ अभी भी व्याप्त हैं, जिनका निकट महीनों मे समाधान नही दिख रहा है। कई स्थानो में, जहाँ पर विभिन्न रक्षा संस्थान स्थित है जैसे मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता आदि, इस महामारी ने विकराल रूप

धारण कर लिया है। ऐसे समय में संस्थान द्वारा अपने कर्मचारियो को असहाय छोड़ देना नीतिगत नही हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि ऐसे सभी कर्मचारियो को जो इस महामारी के दौरान या पूर्व में सरकारी आवास छोड़ने के पात्र हो गये हैं, उन्हे लॉक–डाउन लागू होने से लेकर अगले छः माह तक आवास मे सामान्य लाइसेन्स शुल्क पर रहने की छूट प्रदान की जाय।

इस विषय पर अपने अधीनस्थ विभागो को आवश्यक दिशा– निर्देश जारी करने की कृपा करें कि वे अपनी वैधानिक शक्तियो का प्रयोग करते हुए कर्मचारियो को उपरोक्त छूट प्रदान करें।

Thanking you.

Sincerely Yours

M.K Singh

(MUKESH SINGH)
General Secretary/ BPMS &
Member JCM II Level Council (MoD)